

02

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म

1122
2017

काभू/धीर 2

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

285

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

28.12.17. आधेवस्ता अपीलार्थी उपाधिकार |
 काभूलिय रिपोर्ट होकर
 पत्रावली का प्रस्तुत हुई | पत्रावली में
 2 प्रतिस्तर करे | आधेवस्ता अपीलार्थी की
 बहस प्रार्थना पत्र स्थगन | कश्चरि निषेधाया
 पर सुनी गई | आधेवस्ता अपीलार्थी की
 बहस पर मनन किता एवं पत्रावली
 का अवलोकन किता | अपील पत्रावली के
 साथ प्रस्तुत अधिनस्थ न्यायालय की
 कोर्टिका दिनांक 22/12/2017 के अवलोकन
 से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय
 द्वारा अपीलार्थीगण सरणा 1 से 5 व 9 व 10 के
 पत्राव प्रस्तुती के पश्चात ही प्रार्थना पत्र
 स्थगन पर सुनना उचित समझे जाने का
 कंकन किता गमा है | अतः ऐसी तस्वीर
 में प्रकरण की इस स्टेज पर कोई हस्तक्षेप
 किसे बिना अधिनस्थ न्यायालय को
 निर्देश किता जाता है कि वे उपाधिकार
 प्रकाशन की सुनवाई अधिनस्थ न्यायालय
 में निमत आगामी पेशी दिनांक 11/1/2018
 को कर प्रार्थना पत्र का गुणावगुण
 पर निस्कारण करे | पत्रावली में जब
 कोई कार्यवाही शेष नही रहने से
 पत्रावली फंसल शुमार होकर बाउ
 तकमील डायरील स्तर ही कोदेश
 सुनाया गमा |



(Signature)
 प्राधिकारी